पत्रांक–7/अतिक्रमण (रक्षा भूमि)–06–24/2024...138...(7)/रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी० के० अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
पटना/रोहतास (सासाराम)/कैमूर/गया/मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज।

पटना–15, दिनांक– 13/02/2026

विषय :– **रक्षा मंत्रालय की भूमि (Defence Land) को अतिक्रमण से बचाने एवं राजस्व अभिलेखों में उचित ढंग से प्रविष्टि कर दाखिल–खारिज करने हेतु समुचित निदेश के संबंध में ।**

प्रसंग :–
1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक–79 दिनांक–16.01.2025 ।
2. GOC, झारखंड एवं बिहार सब एरिया का पत्रांक–51838 दिनांक–11.11.2024 ।
3. पत्र संख्या–2289 दिनांक–30.10.1989 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्रों द्वारा पूर्व में निदेशित किया गया था कि Defence Land का प्राथमिकता पर अतिक्रमण हटाने एवं दाखिल खारिज करने का प्रयास किया जाए ।

2. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा (3) को निम्न रूप से उद्धृत किया जाता है :–

"सार्वजनिक भूमि" से अभिप्रेत है भारत सरकार या बिहार राज्य, या किसी स्थानीय प्रधिकार [या सांविधिक निकाय], [लोक उपक्रम], सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय, रेलवे कंपनी या बिहार पंचायत राज अधिनियम,1947 की धारा 3 के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत में निहित [या प्रबन्धित] कोई भूमि, तथा इसमें शामिल है ऐसी कोई भी भूमि जिसपर जनता या समुदाय का प्रयोग का अधिकार है, जैसे कि रास्ता, कब्रिस्तान, श्मशान, चारागाह या सिंचाई का अधिकार ।

3. यह कि रक्षा मंत्रालय की भूमि पूर्णतः भारत सरकार की भूमि तथा लोक भूमि है, अतः रक्षा मंत्रालय के सभी ऐसे भू–खण्ड (land parcel), जिस पर निजी व्यक्तियों/निजी संस्थान/भू–माफिया के द्वारा किसी प्रकार के अतिक्रमण किये जाने पर समाहर्त्ता (जैसा कि लोक भूमि अधिनियम की धारा 2 (1) में परिभाषित है), द्वारा स्वविवेक से Suo-Moto कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए बिहार लोक भूमि अतिकक्रमण नियमावली, 1956 के नियम–1 के अंतर्गत प्रपत्र–। में विधिवत् नोटिस तामिला करायेंगे । तामिला कराने की विधि नियमावली के नियम–2 में निम्न प्रकार से परिभाषित है :– जिसमें नोटिस, अतिक्रमित हेतु भूमि के पास एक सुस्पष्ट स्थान पर नोटिस की एक प्रति चिपकाकर किया जा सकेगा एवं इसके लिए कम से कम दो स्वतंत्र गवाह लिया जाएगा एवं आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए फोटो खींचकर उसकी एक प्रति अतिक्रमण के अभिलेख में रखा जाएगा। यह सनद रहे कि उपकरण जियो–टैग होने से यह भविष्य में प्रमाणित किया जा सके कि किस तिथि, समय एवं स्थान पर यह अतिकमण किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है ।

4. नियम–3 में अतिक्रमण वाद की सुनवाई संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) है, जिसमें नियमानुसार द्वितीय पक्ष को मात्र एक बार सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एवं दोनों पक्ष में अभिलेख समर्पित करने के पश्चात् समाहर्त्ता (Collector) द्वारा आदेश पारित (speaking order) किया जा सकेगा ।

5. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अनुसार दीवानी न्यायालयों को अतिक्रमण संबंधी वादों की सुनवाई में स्पष्ट निषेध है। समाहर्त्ता (Collector) को Code of Civil Proceedure 1908 के अनुसार दीवानी अदालतों की शक्तियाँ इस अधिनियम में धारा–10 में प्रदत्त की गई है, जिसके अनुसार उन्हें – (क) स्थानीय निरीक्षण (ख) गवाहों को सम्मन (ग) दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण । करने की बाध्यकारी शक्ति प्रदत्त है ।

6. प्रासंगिक पत्रांक–2289 दिनांक–30.10.1989 की कंडिका–8 में निम्नवत् उद्धृत है :–

"सरकार को यह भी सूचना मिली है कि अनेक मामलों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो जाने के बाद अतिक्रमणकर्त्ता के नाम सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती उनके दखल कब्जा के आधार पर कर लेने की अनुशंसा भेजी जाती है। सरकार ऐसे मामले को गंभीरता के साथ लेती है और स्पष्ट करना चाहती है कि अतिक्रमणकर्त्ता को प्रोत्साहित करना सर्वथा अनुचित है।"

7. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012, जो दिनांक–30.08.2012 से लागू है, की धारा–6 में अंकित है कि समाहर्त्ता (Collector) द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का कारावास या 20,000/– रूपये तक जुर्माना या दोनों दंड दिये जाने का प्रावधान है एवं यह एक संज्ञेय अपराध (cognizible offence) होगा [Hence public land encroachment is a cognizible offence] ।

8. उपरोक्त सुसंगत अधिनियम की धाराओं एवं नियमावली के नियमों में समाहर्त्ता को लोक भूमि के संबंध में अपार शक्ति विधायिका (legislature) द्वारा दी गई है, जिसका उपयोग समाहर्त्ता द्वारा लोकहित में किये जाने की अपेक्षा की जाती है ।

अतः उपरोक्त सभी 6 जिलों के समाहर्त्ता (Collector) से यह अपेक्षा की जाती है कि रक्षा संबंधी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 5 मार्च,2026 के बाद विधिवत् 15 दिनों की नोटिस निर्गत करने के बाद शुरू की जाय ।

9. इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय की भूमि की अमीन द्वारा मापी कराकर भूमि को चिन्हित करते हुए उसमें रेलवे भूमि के समरूप स्तम्भ (Pillar) लगाने के व्यय का वहन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जा सकेगा ताकि भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति न हो ।

10. लंबित दाखिल–खारिज को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करना –
रक्षा मंत्रालय की भूमि के संबंध में पूर्व में दाखिल खारिज के कई वादों का निस्तार करके भूमि अभिलेख के रजिस्टर–2 में उचित प्रविष्टि किया जा चुका है परन्तु फिर भी कुछ मामले अभी भी लंबित हैं, जिसे शीघ्र निस्तार करने की आवश्यकता है ।

अतः निदेशित किया जाता है कि ऐसे सभी मामलों को 31 मार्च, 2026 तक निस्तारित कर दिया जाए ताकि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को तदनुसार प्रतिवेदित किया जा सके ।

विश्वासभाजन,

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 138 -(7) पटना–15, दिनांक– 13/02/2026

प्रतिलिपि – सभी समाहर्त्ता, बिहार (6 जिलों को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13/02/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव